सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र सं. 03/9 दर्ज तिथि 18.04.2019

1. कन्हैयालाल पुत्र नानगा उम्र 70 साल जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर

– प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द उम्र 35 साल जाति हरियाणा ब्राहम्ण
2. नानगा पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र 70 साल जाति मीना निवासी हमीरपुर तहसील, थानागाजी जिला अलवर।

..............असल अप्रार्थीगण

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर। .... तकमीली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्तागण
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपड़ा।
असल अप्रार्थी अधिवक्ताः– कोई उपस्थित नहीं।
तकमीली अप्रार्थीः–पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–13.12.2022

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृ[illegible] प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल [illegible]जी खाता सख्या 39 खसरा नम्बर 1487/0.20 है0, 1489/0.04 है0, [illegible] 1497/0.28 है0, [illegible]0. 16 है0 1504 0.94 है0 वाकै ग्राम हमीरपुर तहसील [illegible]गाजी जिला अलवर [illegible]त

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 18.06.2014 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। पुष्टि में रिपोर्ट पैमाइश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 18.06.2014 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ–पत्र पेश है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर अवगत कराया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजी के पड़ोसी काश्तकार हैं और उक्त आराजी में पत्थरगढ़ी आदेश दिये जाते हैं तो कोई ऐतराज नहीं है। अतः अप्रार्थीगण असल द्वारा पत्थरगढ़ी किए जाने हेतु सहमति जाहिर की गई है।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 08.06.2014 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *111. Decision of disputes as to boundaries.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *128. Boundary disputes. - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111 :*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–75 वाकै ग्राम हमीरपुर खाता संख्या 39 में इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद में अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उ[illegible] खाता संख्या 39 वाकै ग्राम हमीरपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 08.06.2014 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1545/2641 गै0 मु0 चाह को मुश्तकिल बिन्दू मानकर जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 1504/0.94 है0 एवं खसरा नम्बर 1450/2657 व खसरा न0 1460 गै0 मु0 चाह को मुश्तकिल बिन्दू मानकर जरीब चलाकर आराजी खसरा न0 1487/0.20 है0, 1489/0.04 है0, 1491/0.65 है0 के सभी कोनों के सीमाचिह्न अंकित कर प्रार्थी व मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष सीमाज्ञान किया जाकर संतुष्ट किया गया है। प्रार्थी की अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा न0 हाल आराजी खाता संख्या 39 खसरा नम्बर 1487/0.20 है0 1489 0.04 है0 1491 0.65 है0 1504 0.94 है0 वाकै ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को [illegible] में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner